मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6—7, जाब्ता दीवान)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

**पीठासीन अधिकारी :—उमा मित्तल** आर.ए.एस.

**राजस्व वाद संख्या :—** 140/2022

जगसीर पुत्र दलीपसिंह जाति बावरी निवासी डबलीबास कुतुब 30 एस.एस.डबल्यू. डबली राठान तहसील व जिला हनुमानगढ राजस्थान।

वादी

बनाम

1. किशनाराम पुत्र नत्थूराम जाति बावरी निवासी 8 के.वाई.डी. तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर राजस्थान।
2. रामलाल पुत्र रामचन्द्र जाति बावरी निवासी डबलीबास मोलवी तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. सुरजा पुत्र रामचन्द्र जाति बावरी निवासी डबलीबास मोलवी तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

प्रतिवादीगण

## दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

**डिक्री**

**दिनांक :—** 03/09/2025

वादी की ओर से श्री धन्नाराम सुथार अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से श्री अशोक गुडेसर अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से श्री शैलेन्द्र बिश्नोई व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को **उमा मित्तल आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए इकबाल दावा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार घोषणा की जाती है कि —

चक 2 एल.जी.डबल्यू. पटवार हल्का लोंगवाला के संयुक्त खाता संख्या 83/75 (वर्तमान खाता सं. 128/48) के प.न. 56/281 (38) के किला नं. 6/1/0.215, 6/2/0.038, 7 ता 9 की कुल 1.012 हैक. नहरी मय गै.मु. रास्ता कृषि भूमि मे प्रतिवादीगण का नाम विलोपित कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की ... व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न ... दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर ... किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार ... ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.09.26 16:35:22 IST
Reason: SelfAttested

खर्चा फरीकेन अपना—अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 03/09/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

( उमा मित्तल आर.ए.एस. )
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा